रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2011/चैत्र 9, 1933
No. 167] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2011/CHAITRA 9, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2011

सा.का.नि. 264(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग), भारत सरकार की सं. सा.का.नि. 524(अ), तारीख 15 जुलाई, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को भेजे जा सकेंगे;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 65 के उप-नियम (2) की सारणी में,—

(क) साइपरमैथीरिन (आइसोमर का योग) (वसा विलेय अवशिष्ट) से संबंधित क्रम संख्यांक 41 के सामने, स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	कीटनाशी का नाम	खाद्य	सह्यता सीमा मिग्रा/किग्रा (भा. प्र. द. ला.)
(1)	(2)	(3)	(4)
		"चावल	0.01"

(ख) डैकामैथ्रिन/डेल्टामैथ्रिन से संबंधित क्रम संख्यांक 42 के सामने, स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(3)	(4)
"अरहर	0.01
आम	0.01
चाय	2.0"

(ग) क्रम संख्यांक 46 में, मंकोजेब से संबंधित मद (ग) के सामने, स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(3)	(4)
"जीरा	0.5"

(घ) प्रोपीकोनाजोल से संबंधित क्रम संख्यांक 80 के सामने, स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(3)	(4)
"चाय	0.1
मूंगफली के बीज	0.1
चावल	0.05
सोयाबीन के बीज	0.01"

(ङ) क्लोरीम्यूरान-ईथाइल से संबंधित क्रम संख्यांक 93 के सामने, स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(3)	(4)
"चावल	0.002
सोयाबीन के बीज	0.002"

(च) लैंबडाइसाइहैलोथ्रिन से संबंधित क्रम संख्या 96 के सामने, स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(3)	(4)
"बैंगन	0.20
टमाटर	0.10
चावल	0.01
भिंडी	2.0
अरहर	0.01
चना	0.01
हरी मिर्च	0.05
लाल मिर्च	0.005
मूंगफली बीज	0.01
प्याज	0.01"

(छ) थाइएमैथोक्सन से संबंधित क्रम संख्यांक 107 के सामने, स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(3)	(4)
"नींबू	0.02"

(ज) प्रोपारगिट से संबंधित क्रम संख्यांक 122 के सामने, स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(3)	(4)
"मिर्च	2.0
सेब	2.0"

(झ) क्रम संख्यांक 143 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	कीटनाशी का नाम	खाद्य	सह्यता सीमा मिग्रा/किग्रा (भा. प्र. द. ला.)
(1)	(2)	(3)	(4)
"144.	फिपरोनिल	बिनौला तेल	0.005
145.	सिनमिथाइनिल	चावल	0.05
146.	पैकलोबूटराजोल	आम	0.01
147.	फैनप्रोक्सीमेट	मिर्च	1.0
		चाय (हरी)	2.0
148.	डिफनोकोनाजोल	मिर्च	0.002
		चावल	0.002
149.	फलूसिलाजोल	चावल	0.01
		मिर्च	0.01
150.	मेटलएक्सिल-एम	आलू	0.01
151.	हाइड्रोजन-साइनामाइड	अंगूर	0.01
152.	बूप्रोफेजिन	बिनौला तेल	0.01
		मिर्च	0.01
		आम	0.01
		अंगूर	0.01
153.	नावलयूरोन	मिर्च	0.01
		मटरी	0.01
154.	α नैपथिल एसीटिक एसिड	टमाटर	0.10
		मिर्च	0.2
		आम	0.05
		बिनौला तेल	0.05
		अंगूर	0.05
155.	मिथोमाइल	टमाटर	0.05
		अरहर का बीज	0.05
		मिर्च	0.05
		मूंगफली का बीज	0.05
		अंगूर	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
156.	फ्लूबेनडियामाइड	बिनौला तेल	0.10
		चावल	0.10
157.	पेनकोनोजोल	काला चना	0.02
		आम	0.05
		सेब	0.02"।

[सं. पी-15014/26/2007-पीएच (एफ) पार्ट]

अरूण पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, में सं. का.नि.आ. 2106, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 652(अ), तारीख 2 अगस्त, 2010 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2011

G.S.R. 264(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 524(E), dated the 15th July, 2008, is hereby published, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the specified period above shall be considered by the Central Government;

The objections or suggestions, if any, may be forwarded to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110108.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (2nd Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 65, in sub-rule (2), in the Table,—

(a) against serial number 41, relating to Cypermethrin (sum of isomers fat soluble residue), in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely :—

S.No.	Name of Insecticide	Food	Tolerance Limit mg/kg. (ppm)
(1)	(2)	(3)	(4)
		"Rice	0.01";

(b) against serial number 42, relating to Decamethrin/ Deltamethrin, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries, shall be inserted, namely :—

(3)	(4)
"Red gram	0.01
Mango	0.01
Tea	2.0";

(c) in serial number 46, against item (c) relating to Mancozeb, in columns (3) and (4), after the entries, the following entries, shall be inserted, namely :—

(3)	(4)
"Cumin	0.5";

(d) against serial number 80, relating to Propiconazol, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries, shall be inserted, namely :—

(3)	(4)
"Tea	0.1
Groundnut seed	0.1
Rice	0.05
Soyabeen seed	0.01";

(e) against serial number 93, relating to Chlorimuron-ethyl, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries, shall be inserted, namely :—

(3)	(4)
"Rice	0.002
Soyabeen seed	0.002";

(f) against serial number 96, relating to Lambdacyhalothrin, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries, shall be inserted, namely :—

(3)	(4)
"Brinjal	0.20
Tomato	0.10
Rice	0.01
Bhindi	2.0
Red Gram	0.01

(3)	(4)
Bengal Gram	0.01
Chillies Green	0.05
Chillies Red	0.005
Groundnut seed	0.01
Onion	0.01";

(g) against serial number 107, relating to Thiamethoxam, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries, shall be inserted, namely :—

(3)	(4)
"Acid lime	0.02";

(h) against serial number 122, relating to Propargite, in columns (3) and (4), after the existing entries, the following entries, shall be inserted, namely :—

(3)	(4)
"Chillies	2.0
Apple	2.0";

(i) after serial number 143, and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries, shall be inserted, namely :—

S.No.	Name of Insecticide	Food	Tolerance Limit mg/kg. (ppm)
(1)	(2)	(3)	(4)
"144.	Fipronil	Cotton seed oil	0.005
145.	Cinmethylin	Rice	0.05
146.	Paclobutrazoll	Mango	0.01
147.	Fenpyroximate	Chilli	1.0
		Tea (green)	2.0
148.	Difenoconazole	Chillies	0.002
		Rice	0.002
149.	Flusilazole	Rice	0.01
		Chillies	0.01
150.	Metalaxyl-M	Potato	0.01
151.	Hydrogen Cyanamide	Grapes	0.01
152.	Buprofezin	Cotton Seed oil	0.01
		Chillies	0.01
		Mango	0.01
		Grapes	0.01
153.	Novaluron	Chillies	0.01
		Chickpea	0.01
154.	α-Napthy acetic acid	Tomato	0.10
		Chilli	0.2
		Mango	0.05
		Cottonseed oil	0.05
		Grapes	0.05
155.	Methomyl	Tomato	0.05
		Pigeonpea seeds	0.05
		Chilli	0.05
		Groundnuts seed	0.05
		Grapes	0.05
156.	Flubendiamide	Cotton seed oil	0.10
		Rice	0.10
157.	Penconozole	Black gram seed	0.02
		Mango	0.05
		Apple	0.02"

[No. P. 15014/26/2007-PH (F) Pt.]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India *vide* S.R.O. 2106 dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* G.S.R. 652(E), dated the 2nd August, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.